प्रकरण 24/2021 (2021/70)
सूरजमल V/S कमला देवी
अन्तर्गत धारा 53,188 RTA

5/3/2021 वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर सिगेह से किसी नकल करवाने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया फिर किसी कारण दिनांक 5/3/2021 को नकल की गई। वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त उनवान वाद अन्तर्गत धारा 53/188 RTA का नकलनवीस के पास किया गया था उनवान वाद में वादी अपने कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जिसके वादी उक्त प्रकरण को विड्रो करना चाहता है। वादी द्वारा व वादी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षर पत्र वादपत्र विड्रो (Not press) का भी अंकन किया एवं वादपत्र विड्रो करने हेतु आदेश का निवेदन किया

मैंने प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र का अवलोकन किया बाद प्रार्थना पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा वादपत्र को विड्रो करने एवं आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने एवं वादपत्र विड्रो किये जाने से वादपत्र अन्तर्गत धारा 53/188 RTA का इसी तरह निराकृत किया जाता है।

वादपत्र विड्रो (Not press)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.22 13:06:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
आसींद जिला भीलवाड़ा (राज.)